IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में दल-बदल कानून ,1985 का उद्भव एवं विभिन्न राज्यों में हुये दल-बदल एवं सत्ता परिवर्तन का विश्लेषणतामक अध्ययन

हर्षित मण्डलोई (शोधार्थी) एवं प्रो. दीपिका गुप्ता

राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)

शोध सारांश यह शोध पत्र भारत में बढ़ती दल बदल कि घटना तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहा के वयस्क मतदाता एवं निर्वाचित सदस्यों तथा वहा निवास करने वाली जनता के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में देश कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक भी इन्हीं निर्वाचित सदस्यों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से भारत में अत्यधिक दल बदल एवं विभिन्न राज्यों में दल बदल से सत्ता परिवर्तन के कारण लोकतांत्रिक प्रणाली एवं मूल्यों की क्षति देखने को मिलती है सन् 1967 के पूर्व एवं पश्चात हुये दल-बदल का तुलनात्मक अध्ययन करते हुये तथा विभिन्न कारणों से हुये दल-बदल की विस्तृत रूपरेखा इस शोध पत्र में प्रस्तुत की गई है ।

प्रस्तावना :- दल-बदल का अर्थ है एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना । परन्तु समस्या तब पैदा हो जाती है जब कोई निर्वाचित सदस्य अपनी पार्टी से त्यागपत्र देकर दूसरी पार्टी में शामिल होता है या सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है या फिर अपनी पार्टी द्वारा जारी व्हिप के विरुद्ध सदन में मत देता है तो इसे दल बदल कहा जाता है ।

चव्हाण समिति ने दल-बदल को इस प्रकार परिभाषित किया, यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के सुरक्षित चुनाव चिह्न पर संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा या विधान परिषद् का सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात् स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल के प्रति अपनी निष्ठा का परित्याग करता है या उस राजनीतिक दल से सम्बन्ध तोड़ता है और उसका यह कार्य उसके दल के किसी सामूहिक निर्णय का परिणाम नहीं है, तो ऐसा करना दल-बदल कहलाएगा।"

सुभाष कश्यप के अनुसार- जब कोई विधायक व्यक्तिगत रूप से अथवा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण अपने दल से त्याग-पत्र दे देता है या नया राजनीतिक दल बना लेता है या दल की सदस्यता का त्याग किए बिना ही उस दल के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, तो उसे राजनीतिक दल-बदल कहते हैं।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दल बदल में निम्नलिखित कारक आते है जैसे &

1- यदि कोई सदस्य किसी दल के टिकिट पर चुना गया हो तथा उसने अपनी इच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग दी हो और दूसरे दल में सम्मिलित हो गया हो ।

2- निर्दलीय सदस्य चुनाव पश्चात् किसी दल में शामिल हो गया हो।

3- सदन में अपने दल के द्वारा जारी व्हिप के विरुद्ध मतदान करें ।

भारत में दल बदल की घटना वैसे तो आजादी के बाद से ही देखने को मिलती है परन्तु 1967 से इसमें अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है जिसमें 1967 में हरियाणा के एक विधायक ग्यालाल जिन्होंने एक ही दिन में तीन बार दल परिवर्तन कर लिया तथा इस प्रवृत्ति को **आया राम गया राम** का नाम दिया गया ।

1947&1967 के बीच 20 वर्षो में कुल 540 सांसदों एवं विधायकों के द्वारा दल बदल किया गया । तथा 1967&1968 के बीच 1 वर्ष में ही लगभग 440 सदस्यों के द्वारा दल बदल किया गया । 1968 के पश्चात् भारत में दल बदल की प्रवृत्ति का अत्यधिक मात्रा में विस्तार हुआ । 1967 से 1971 के मध्य लगभग 1400 विधायकों के द्वारा दल बदल किया गया । तथा इस प्रवत्ति को ध्यान में रखते हुए 1968 में लोकसभा में एक गैर - सरकारी विधेयक वेंकट सुबैया द्वारा लाया गया तथा 1969 में लोकसभा ने दल बदल की समस्या को अध्ययन करने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री वाई- वी- चव्हाण की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया । जिसके द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें दी गई । जैसे &

• सभी राजनीतिक दल आम सहमति से एक संहिता का निर्माण करे तथा सभी इसका स्वेच्छा से पालन करें ।

• दल बदलू सदस्यों को मंत्री ना बनाया जाय ।

• मंत्रिमंडल का आकर सीमित किया जाना चाहिए ।

• दल बदलुवो को विधानमंडल कि सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जाए ।

• मंत्रिपरिषद को विधानसभा भंग करने की सिफारिश का अधिकार प्राप्त होना चाहिए आदि ।

➢ 1967 तक दल-बदल की घटनाएँ

भारतीय राजनीति में दल - बदल की घटनाएँ 1967 के आम चुनावों से पहले तक बहुत कम हुईं । सबसे पहले दल - बदल को प्रोत्साहन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया । उन्होंने अकाली दल के ज्ञानी करतार सिंह , सरदार स्वर्ण सिंह , सरदार हुक्म सिंह आदि को पद का लालच देकर तोड़ लिया । कांग्रेस ने जनसंघ में से पं . • मौलिचन्द्र शर्मा को और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अशोक मेहता को दल - बदल कराकर अपने साथ मिला लिया । अगस्त 1958 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के 98 विधायकों ने मुख्यमंत्री डा . सम्पूर्णानन्द में अविश्वास व्यक्त करके उन्हें अल्प मत में लाकर पदत्याग के लिए विवश कर दिया । 1962 में मद्रास (चेन्नई) के राज्यपाल श्री प्रकाश ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अल्प मत में होते हुए भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित किया और 16 विपक्षी सदस्यों ने दल - बदल करके कांग्रेस में सम्मिलित होकर उन्हें बहुमत दिला दिया । 02 सितम्बर , 1964 को केरल में कांग्रेस के 15 विधायकों ने कांग्रेस से दल - बदल करके आर . शंकर के मंत्रिमण्डल का पतन करा दिया । 1952 में राजस्थान में , 1957 में उड़ीसा में दल - बदल कराकर अपनी सरकारें बनायीं ।

➢ 1967 के बाद दल-बदल की घटनाएँ

1967 के आम चुनावों के पश्चात् भारत में दल - बदल इतनी तेजी से होना शुरू हुआ कि यह राजनीति के लिए एक गम्भीर समस्या बन गया । चौथे आम चुनाव - 1967 के पश्चात् कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक एकाधिकार का अन्त हो गया और 16 राज्यों में से 8 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला ये राज्य थे बिहार , केरल , तमिलनाडु , उड़ीसा , पंजाब , राजस्थान , उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल । इनमें से छह राज्यों में विपक्षी दलों ने न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर संयुक्त सरकारें बनायीं । कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी को सीमान्त बहुमत मिला और किसी तरह कांग्रेस मंत्रिमण्डलो का निर्माण किया ऐसे राज्यों में विपक्षी दलों ने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा कांग्रेसी सरकारों को अपदस्थ करने का अभियान चलाया । चुनाव के तुरन्त पश्चात् उत्तर प्रदेश , हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने मंत्रिमण्डल बनाये , परन्तु कांग्रेस में तोड़-फोड़ के कारण उनका पतन हो गया और विपक्षी दलों ने मिश्रित सरकारों का गठन किया । आरम्भ में

विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर रखने का लक्ष्य बनाया और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी हुई थी उन्हें गिराने के लिए सामूहिक प्रयत्न करने का निश्चय किया । इसके लिए दल - बदल को साधन बनाया गया जिसके परिणामस्वरूप देश के 17 राज्यों में से 9 राज्यों में गैर - कांग्रेसी मिश्रित सरकारें बनीं । लेकिन ये सरकारें अधिक नहीं चल पायीं और शीघ्र ही इनका पतन हो गया और उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया । इनका राज्यवार विवरण निम्न प्रकार है :-

हरियाणा — 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस को 81 में से 48 स्थान मिले और स्पष्ट बहुत भगवंत दयाल शर्मा ने अपना मंत्रिमण्डल बनाया । परन्तु एक सप्ताह बाद ही विधान सभा के स्पीकर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार तीन मतों से पराजित हो गया । असन्तुष्ट कांग्रेसी विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नवीन हरियाणा दल बनाया । कांग्रेस पार्टी ने नवीन हरियाणा दल के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चे की सरकार का गठन किया लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भगवंत दयाल शर्मा के स्थान पर राव वीरेन्द्र सिंह को बनाया गया जो नवीन हरियाणा दल के नेता थे । नवीन हरियाणा दल के अनेक सदस्यों को मंत्रिमण्डल में स्थान दिया गया । वह विधान मण्डल अधिक दिन तक नहीं चल सका । विधान सभा के 8 माह के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के 31 विधायकों ने दल - बदल किया । एक विधायक ने पाँच बार दल - बदल किया । विधायक गयालाल ने 15 दिन में तीन बार दल - बदल किया जिससे ' गया राम - आया राम ' का नारा राजनीति में प्रचलित हुआ । एक नेता रणधीर सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि , " यह शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री राव वीरेन्द्र सिंह विधायकों को खरीद रहे हैं और प्रत्येक विधायक को नकद दहेज के साथ – साथ मंत्रि पद का लालच भी दिया जा रहा है ताकि वे मुख्यमंत्री बने रह सकें ।

उत्तर प्रदेश – चौथे आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका । कांग्रेस ने अन्य दलों से छोड़कर आने वाले कुछ विधायकों के सहयोग से चन्द्रभानु गुप्त ने मंत्रिमण्डल बनाया । चौ . चरण सिंह कांग्रेस दल के विधायक थे । वे तत्कालीन मुख्यमंत्री चन्द्रभानु गुप्त पर अपने 13 सदस्यों को मंत्रिमण्डल में सम्मिलित करने पर जोर दे रहे थे जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किया । परिणामतः चौ . चरण सिंह ने घोषणा करके एक नये दल ' जन कांग्रेस ' का गठन किया और उसके साथ 17 विधायक विपक्ष में जा मिले । चन्द्रभानु गुप्त की सरकार 18 दिन में धाराशाही हो गयी चरण सिंह ने कुछ ही दिनों बाद ' भारतीय क्रान्ति दल ' (BKD) गठन किया । कुछ दिनों बाद उन्होंने संयुक्त विधायक दल संविद (SVD) सरकार का निर्माण किया ये सरकार भी आन्तरिक दरारों से शीघ्र गिर गयी । उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया ।

बिहार - चौथे आम चुनाव के पश्चात् बिहार में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला । 1967 से 1969 तक राज्य में 6 बार मंत्रिमण्डल बने और गिरे । इस बीच में दल - बदल की घटनाएँ 200 से अधिक हुई और परिणामतः राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया ।

पंजाब चौथे आम चुनाव के पश्चात् पंजाब में सात गैर - कांग्रेसी दलों और निर्दलीय सदस्यों ने मिली जुली सरकार का गठन किया । कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने इसे गिराने का प्रयास किया । 1 नवम्बर , 1967 में लक्ष्मन सिंह गिल के नेतृत्व में 17 विधायकों ने मोर्चा छोड़ दिया जिससे मिली-जुली सरकार गिर गयी । श्री गिल ने कांग्रेस की सहायता से सरकार बनायी जो लगभग 9 माह ही चल सकी और 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया । फरवरी 1969 में हुए नये चुनावों में अकाली-जनसंघ संयुक्त मोर्चे ने सरकार बनायी जो 13 जून , 1971 तक चलती रही ।

राजस्थान- 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस को राजस्थान विधान सभा में 89 स्थान मिले । विपक्ष से दल - बदल होकर कांग्रेस की संख्या 110 हो गयी । सुखाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया ।

कांग्रेस ने दल - बदलुओं को अपने दल में सम्मिलित होने के लिए बढ़ावा दिया । दल - बदलुओं का आरोप लगने के बाद भी सुखाड़िया अपना कार्यकाल पूरा कर गये ।

मध्य प्रदेश - चौथे आम चुनाव के पश्चात् कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और 8 मार्च , 1967 को डी . पी . मिश्र ने सरकार बनायी । 19 जुलाई को गोविन्द नारायण सिंह ने अपने 35 विधायकों के साथ दल - बदल किया जिससे मिश्र की सरकार अल्प मत में आने से गिर गयी । 20 जुलाई को गोविन्द नारायण सिंह ने विपक्ष से मिलकर संयुक्त मोर्चे की

सरकार बनायी जो मार्च 1969 तक चली । बाद में गोविन्द नारायण सिंह अपने दल-बदलुओं के साथ कांग्रेस पार्टी में फिर से सम्मिलित हो गये और कांग्रेस की सरकार बन गयी । पश्चिम बंगाल – चौथे आम चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में बंगला कांग्रेस के नेता अजय मुखर्जी ने चौदह दलों की संयुक्त मोर्चा सरकार बनायी जो अधिक नहीं चल सकी । उसके एक घटक के नेता पी . सी . घोष ने 17 अन्य सदस्यों के साथ अपने को इससे अलग कर लिया जिससे संयुक्त मोर्चे की सरकार गिर गयी । बाद में पी . सी . घोष अल्पसंख्यक मंत्रिमण्डल कांग्रेस और अन्य दल - बदलुओं के साथ बनाया जो अधिक शीघ्र ही गिर गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा । कर्नाटक - दल-बदल के कारण कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीरेन्द्र पाटिल को अपनी 34 महीने पुरानी सरकार से त्यागपत्र देना पड़ा ।

गुजरात- गुजरात में हितेन्द्र देसाई ने दल - बदल के कारण अल्प मत में आ जाने के कारण अपना त्यागपत्र दे दिया । उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मार्च , 1967 से दिसम्बर , 1967 तक , नौ माह की अवधि में , राज्य विधान मण्डलों के कुल 3,447 सदस्यों (हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के सदस्यों को छोड़कर) में से 314 सदस्यों ने (जो कुल संख्या का लगभग 99 % है) दल - बदल किया । इनमें निर्दलीय सदस्य भी सम्मिलित थे जो राजनीतिक पद अथवा धन के लोभ में पार्टियाँ बदलते रहे । एक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल , 1969 तक दल-बदल की लगभग 1,000 घटनाओं में 350 सदस्यों ने भाग लिया । दल - बदल करने वालों में कुछ ऐसे सदस्य भी थे जिन्होंने एक से अधिक बार दल - बदल किया । एक तथ्य यह भी है कि 1957 से 1967 तक हुए दल - बदल में कांग्रेस को अधिक लाभ हुआ । इस अवधि में होने वाले दल - बदल में कांग्रेस से जाने वाले सदस्यों की संख्या 98 थी जबकि कांग्रेस में आने वालों की संख्या 419 थी । 1967-68 के वर्ष में कांग्रेस को हानि हुई । इस अवधि में कांग्रेस से जाने वाले सदस्यों की संख्या 175 थी और कांग्रेस में आने वालों की संख्या 139 थी । इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि 1967 तक दल - बदल एकतरफा थी , उसके बाद दोतरफा हो गयी ।

❖ **दल - बदल के कारण**

भारत में राजनीतिक दल - बदल के निम्नलिखित कारण हैं

1. 1967 के आम चुनावों में विरोधी दलों की सफलता - 1967 के आम चुनावों उत्तर प्रदेश , बिहार , तमिलनाडु , केरल , पश्चिमी बंगाल , पंजाब , उड़ीसा और राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और केन्द्र में भी कांग्रेस का बहुमत कम हो गया । 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा में दल - बदल के कारण राव वीरेन्द्र सिंह की सरकार बनी । पंजाब में सरदार गुरनाम सिंह के नेतृत्व में अकाली दल और जनसंघ ने मिलकर सरकार बनायी । तमिलनाडु में डी.एम.के की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में चौ . चरण सिंह ने जनसंघ , संयुक्त समाजवादी दल तथा भारतीय क्रान्ति दल की सहायता से सरकार बना ली पश्चिम बंगाल में संयुक्त विधायक दल की सरकार अजय मुखर्जी के नेतृत्व में बनी । 1967 के बाद जनता ने यह अनुभव किया कि कांग्रेस के एकछत्र राज्य को भी तोड़ा जा सकता है ।

2. राज्यों में स्थिर सरकारों का न होना -राज्यों में स्थिर सरकारों के न होने से भी दल - बदल को बढ़ावा मिला । 1967 के आम चुनावों में स्थिति यह थी कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और कुछ विधायकों के कांग्रेस दल या विपक्ष , जिसमें भी मिल जायें उसी की सरकार बन सकती थी । बिहार , पंजाब , मध्य प्रदेश , पश्चिमी बंगाल , कर्नाटक और गुजरात में इसी दल - बदल के कारण सरकारें बनीं । वर्तमान में भी यह खेल जारी है । उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार अगस्त 2003 के अन्त में गिर गयी जो भाजपा के सहयोग से बनी थी और भाजपा के समर्थन वापस लेते ही सरकार अल्पमत में आ गयी । सितम्बर 2003 के शुरू में मुलायम सिंह की सरकार कई दलों के समर्थन से बनी जिसमें बसपा के भी 37 विधायक सम्मिलित थे ।

3. मंत्रिपद और धन का प्रलोभन– किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने से यह स्थिति हो गयी है कि प्रत्येक दल अपनी सरकार बनाने के लिए होड़ लगाये रहता है । ऐसे में विधायकों को खरीदने का काम वोट खरीदने जैसा हो जाता है । विधायकों के मन में यह लालसा उत्पन्न हो गयी है कि सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर मन्त्रिपद अथवा धन जो भी मिले प्राप्त किया जाये । यह कारण आज भी प्रभावी है । उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2003 में मुलायम सिंह का 98 सदस्यीय मन्त्रिमण्डल इसका प्रमाण है ।

4. राजनीतिक दलों के पास महान व्यक्तित्व के नेता की कमी— राजनीतिक दलों के पास जब महान् व्यक्तित्व वाले ऐसे नेता का अभाव होता है , जिसका प्रभाव सारे देश में व्याप्त हो तो भी दल - बदल को बढ़ावा मिलता है । 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष के पास कोई ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं था । कांग्रेस की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी 1967 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार के कारण प्रसिद्ध नहीं हो सकी थीं और चौ . चरण सिंह दल - बदलू थे । वे कभी कांग्रेस से तो कभी जनसंघ , स्वतन्त्र पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी से गठबन्धन करते - फिरते थे । हरियाणा में राव वीरेन्द्र सिंह , बिहार में महामाया प्रसाद और पश्चिमी बंगाल में अजय मुखर्जी सुदृढ़ स्थिति में नहीं थे । यह कारण वर्तमान में भी प्रभावी है मायावती अपने को अनुसूचित जाति को नेता मानती हैं तो मुलायम सिंह पिछड़ी जाति का केन्द्र में अटल बिहारी बाजपेयी या सोनिया गाँधी भी इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के नेता नहीं बन सके हैं कि जो अपने बल पर अपनी पार्टी को संसद में स्पष्ट बहुमत दिला सकें । तेरहवीं लोक सभा में नवम्बर 2002 में बाजपेयी सरकार 22 दलों को मिलाकर बनीं ।

5. राजनीतिक दलों के नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएँ — किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में अनेक विधायक मंत्री अथवा मुख्यमंत्री बनने की महत्त्वाकांक्षा पाल लेते हैं और इसे पूरा करने के लिए दल - बदल का खेल जारी रहता है । 1967 के चुनावों के बाद भी आया राम - गया राम जारी था और वर्तमान में भी जारी है । सितम्बर 2003 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम सिंह ने अपने मंत्रिमण्डल का विस्तार 98 मन्त्रियों तक पहुंचा दिया जो देश में एक रिकार्ड है । यदि 2 मन्त्रियों को और सम्मिलित कर लेते तो देश में पहला शतकीय मन्त्रिमण्डल बनाने का रिकार्ड बन जाता । यह नेताओं की महत्वाकांक्षा का ही प्रतीक है ।

6. विचारात्मक ध्रुवीकरण का अभाव — भारत में विचारात्मक ध्रुवीकरण के अभाव के कारण दल - बदल को प्रोत्साहन मिलता है । उदाहरण के लिए , 1967 के चुनावों के पश्चात् विपक्ष की पार्टियों ने मिलकर संयुक्त सरकारें तो बना लीं लेकिन उनमें आर्थिक , सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में इनता मतभेद रहा कि वे आपस में मिलकर बहुत समय तक कार्य नहीं कर सके और शीघ्र ही उनका पतन हो गया । वर्तमान में न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम बनाकर सरकारें बनायी जाती हैं परन्तु फिर भी विचारात्मक ध्रुवीकरण के अभाव के कारण वे गिर जाती हैं । उदाहरण के लिए , उत्तर प्रदेश में मायावती (बसपा) और कल्याण सिंह (भाजपा) की संयुक्त सरकार का गिरना , जिसमें 6-6 माह के लिए बारी - बारी से मुख्यमंत्री बनना था । मायावती अपना 6 माह का कार्यकाल पूरा कर गयीं लेकिन कल्याण सिंह का अवसर आते ही मायावती ने गठबन्धन तोड़ दिया ।

7. दल - बदल के प्रति जनता की उदासीनता — दल - बदल का एक प्रमुख कारण जनता का दल - बदल के प्रति उदासीन रहना था । जनता ने दल - बदलुओं के साथ सहानुभूति दिखायी और निर्वाचनों में उन्हें सफल बनाया । उदारहण के लिए , उत्तर प्रदेश में चौ . चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रान्ति दल (BKD) को 1969 के मध्यावधि चुनावों में बहुत सफलता मिली । इसी प्रकार बिहार में दल - बदलुओं के महत्त्वपूर्ण सदस्यों को मध्यावधि चुनावों में सफलता मिली । इसका परिणाम यह रहा कि विभिन्न दलों के नेताओं ने यह मान लिया कि दल बदल जनता की निगाह में कोई गलत चीज नहीं है ।

दल - बदल रोकने के प्रयास — दल - बदल के कारण देश में अनेक राज्यों की सरकारें आये दिन गिरने और बनने लगीं जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गयी । दल - बदल को मतदाताओं के साथ भारी विश्वासघात कहा गया । इसे संसदीय जनतन्त्र के लिए घातक मानते हुए इसे रोकने के लिए माँग उठने लगी । इस दल - बदल को रोकने के लिए 11 अगस्त , 1968 को कांग्रेसी संसद सदस्य बैंकट सुब्बैया ने एक गैर - सरकारी प्रस्ताव (Non - government Bill) लोक सभा में रखा । इसे लोक सभा ने 8 दिसम्बर , 1968 में पारित कर दिया । फरवरी , 1969 को लोक सभा ने एक समिति की नियुक्ति की , जिसके अध्यक्ष तत्कालीन गृहमन्त्री श्री यशवन्त राव बलवन्त राव चह्वाण को बनाया गया । इस समिति में 28 अन्य सदस्य भी थे । इस समिति ने 18 फरवरी , 1969 को अपनी रिपोर्ट सदन में दी , जिसमें निम्नलिखित सुझाव थे 1

(i) सभी राजनीतिक दल मिलकर एक ऐसी आचार संहिता तैयार करें , जो सबको मान्य हो । यदि एक विधायक या संसद सदस्य एक दल को बदलकर दूसरे दल में मिलना चाहें , तो दूसरा दल उसे अपनी सदस्यता उस समय तक न दे जब तक कि वह सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देकर दोबारा उस दल के टिकट पर चुनाव न लड़े ।

(ii) प्रत्येक दल केवल ऐसे उम्मीदवारों को ही टिकट दें जो कि उस दल में गहरी निष्ठा रखते हों । 1

(iii) दल - बदलुओं को निश्चित अवधि के लिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाये ।
(iv) दल - बदलुओं को अपने दल से त्यागपत्र देकर दूसरे दल के कार्यक्रम और नीतियों के अनुसार चुनाव लड़ना चाहिए ।
(v) मन्त्रि परिषदों के आकार को सीमित किया जाये जिससे दल - बदलुओं को मन्त्रिपद का लालच न रहे ।
(vi) चह्वाण समिति ने यह सिफारिश की कि मन्त्रियों की अवधि अधिक से अधिक 10 वर्ष निर्धारित कर दी जाये ताकि नये व्यक्तियों को मन्त्री बनने का अवसर मिले ।
(vii) दलीय अनुशासन कठोर किया जाये और कोई भी दल दूसरे दल के किसी भी असन्तुष्ट गुट को अपने में शरण न दें ।
(viii) जनता दल - बदलुओं को चुनाव में पराजित कर दे ।
(ix) प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री लोकप्रिय सदन से ही लिये जायें ।
(x) अधिक दल - बदल होने की स्थिति में मुख्यमंत्री को विधान सभा के भंग करवाने का अधिकार होना चाहिए
(xi)दल - बदलने वाले सदस्यों को दल - बदलने की तिथि से एक साल के लिए किसी भी पद उदाहरणार्थ- मंत्रिपद , अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पदों पर नियुक्त होने से वंचित कर दिया जाना चाहिए ।

- **दल-बदल रोकने हेतु सुझाव**

दल - बदल रोकने के लिए कुछ सुझाव निम्न प्रकार दिये जा सकते हैं

(i) राजनीतिक दलों की संख्या कम की जाये ।
(ii) दल - बदलुओं के चुनाव लड़ने पर अगले 5 वर्ष तक प्रतिबन्ध लगे ।
(iii) जनता दल - बदलुओं का बहिष्कार करें ।
(iv) कोई भी राजनीतिक दल किसी भी दल - बदलू को अपने दल में स्थान न दे ।
(v)विधायक और सांसद अपने क्षेत्र के मतदाताओं की भावना काआदर करते हुए उनके साथविश्वासघात करें ।
(vi) दल - बदल करने वाले विधायक / सांसद की सदस्यता समाप्त करने सम्बन्धी कानून पारित किया जाये ।
(vii) जो दल अन्य दलों के विधायकों / सांसदों को तोड़ने के लिए धन या पद का लोभ दें , उनको काली सूची में स्थान दिया जाये ।
(viii) दल - बदल विरोधी कठोर कानून बनाया जाये ।
(ix) सांसद और विधायक राजनीतिक नैतिकता का आचरण करें ।
(x) दल - बदल को राजनीतिक अपराध घोषित किया जाये ।
(xi) मन्त्रिपरिषद् की सदस्य संख्या विधान सभा / लोक सभा के सदस्यों के 1/10 से अधिक न हो ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. A. Dixit,A. Bhatt,S. Saini, The Efficacy of Anti-Defection Law In India: A Comprehensive Analysis ,Source :- Volume II , Issue I Published : IJIRL, Dwarka, New Delhi

2. सी.बी.गेना , तुलनात्मक राजनीति एव राजनीतिक संस्थाए

3. C.Balyan, An Integrated Approach to Resolve the Crisis of Defection in India, NLUO Law Journal, Special Issue on Election Law 7, 2020

4. C. Nikolenyi, Government Termination and Anti-Defection Laws in Parliament, West European Politics 45 (3), 638-662, 2022

5. G.C. Malhotra, Anti Defection Law In India And the Commonwealth ,Metropolitan Book Co. Pvt. Ltd , 1, Netaji Subhash Marg ,New Delhi- 110002 ,India 2005

6. D. sarkar,P.C.Mishra, An Analytical Study on Politics of Defection in India ,International Journal of Law and Political Sciences 12 (2), 305-309, 2018

7. K.D. Laxman, P.K. Dilip, Anti-Defection Law And Democratic Spirit of Indian Politics, July,2022

8. K. Janda, Law Against Party Switching, Defecting or Floor – Crossing in National Parliaments ,World congress of the international Political Science association, Santiago, Chile, 12-16, 2009

9. Kavita, Suman, भारतीय राजनीति व्यवस्था में दल- बदल का विकास, Ignited Minds Journal, Bhikaji Cama Place, New Delhi Vol. VI , Issue XI , July – 2013

10. K.V. Swamy, Effect of Anti-Defection Law on Democracy ,Editorial Board 9 (4), 192, 2020

11. L. Narayan, भारतीय लोकतंत्र में दलीय प्रणाली के विविध स्वरूप : 1952 से 2014 तक का राजनीतिक परिदृश्य, International Journal of Research, Volume 05, Issue 02 January 2018

12. N.S.Gehlot, The Anti - Defection Act,1985 And The Role Of The Speaker, The Indian Journal of Political Science 52 (3), 327-340, 1991

13. P. Gupta , Anti-Defection Law: A Blessing or Disaster , Neolexvision Blog, 2020

14. P. Kumar, Politics of Defection in Indian Political System ,Journal of Global Research & Analysis 5 (1), 1133-38, 2012

15. P. Mehta, The Politics of Defection, at SSRN 3445958, 2019

16. P. Shree, Anti-Defection Law of India and It's Validity in The 21st Centuary ,Jus Corpus LJ 2, 1334, 2021

17. रजनी कोठरी, भारत की राजनीतत ,Vani Prakashan; Third edition (1 January 2010)

18. S.C. Kashyap, Anti-Defection Law And Parliamentary Previleges ,Universal Law Publishing Company, 2011

19. U. Bhatia, what's Party Like ? The Status of the Political Party in Anti Defection Jurisdictons ,Law and Philosophy 40 (3), 305-334, 2021

20. V.Kumar, Electoral Reform in India : Needs, Issue and Challenge, International Journal of Political Science and Development, Vol. 9 (1) , pp , 17-24 , January 2021